संख्या-5/2018/ एस0ई0-1151/दस-2018-बीमा-14/2008

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 08 अक्टूबर, 2018

विषय- उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत दावों के भुगतान प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-बीमा-768/दस-99/61/ए/99, दिनांक 16-7-1999 द्वारा सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों के भुगतान की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किया गया। पुन: शासनादेश संख्या-एस0ई0-1428/दस-11-बीमा-14/08, दिनांक 23-9-2011 द्वारा निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ स्तर से केवल उ0प्र0 राज्य सरकार के ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो समूह-क के पद पर पदोन्नत हुए हो तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू0 67700-208700, (छठवे वेतन आयोग के अनुसार, ग्रेड पे रू0 6600/-) या इससे अधिक प्राप्त कर रहे हैं, के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों के भुगतान की व्यवस्था निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को दी गयी है।

2- उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत दावो के भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत और विकेन्द्रीकृत किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 16-7-1999 एवं दिनांक 23-9-2011 में आंशिक संशोधन करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है-

(1) समूह-क के सभी अधिकारियों के दावे अन्य की भॉति संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उस कोषागार को प्रेषित किये जाये जहॉ से वह सेवानिवृत्त के ठीक पहले वेतन आहरित कर रहे थे।

(2) माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,न्यायिक सेवा, प्रान्तीय प्रशासनिक सेवाओं /पुलिस/वन सेवा तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के दावे इन अधिकारियों की लेखा पर्ची निर्गत करने वाले कार्यालय द्वारा उस कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारियों, जहॉ से वे सेवानिवृत्त हुए है, को भेजे जायेंगे एवं आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अन्य अधिकारियों की भॉति सीधे संबंधित कोषागार, जहॉ से सेवनिवृत्ति के ठीक पहले

2/---

इनका वेतन आहरित किया जा रहा था, को भुगतान हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

(3) राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सेवानिवृत्त अथवा अन्यथा सेवा से पृथक हो जाते है, के दावे, उनके पैतृक विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा जी0आई0एस0 हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसी प्रकार आहरित किये जायेंगे,जिस प्रकार विभागाध्यक्ष कार्यालय के अन्य कामिकों के जी0आई0एस0 का आहरण संबंधित कोषागार से किया जाता है।

(4) त्रुटि पूर्ण रूप से काटी गयी धनराशि की वापसी के दावे विभागाध्यक्ष के माध्म से उपरोक्त प्रस्तर-3 के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा आहरित किये जायेगे।

(5) इरला चेक अनुभाग, विधान सभा सचिवालय एवं विधान परिषद सचिवालय में अभी तक कोषागारों की भाँति भुगतान प्रक्रिया संचालित नहीं हो रही है। अत:जबतक इन कार्यालयों में भी कोषागार की भाँति भुगतान की प्रक्रिया संचालित नहीं हो जाती है, तब तक इन कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिको के सामूहिक बीमा भुगतान के दावे संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर जवाहर भवन,कोषागार को भेजे जायेंगें एवं जवाहर भवन, कोषागार द्वारा इन दावों का भुगतान अन्य कार्मिको की भाँति किया जायेगा। इन कार्यालयों में कोषागार की भाँति भुगतान प्रक्रिया लागू हो जाने के उपरान्त कामिकों के सामूहिक बीमा के दावे अन्य देयकों की भाँति स्वंय भुगतान किये जायेगें।

(6) श्री राज्यपाल सचिवालय में चूँकि कोषागार की भाँति भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित है, अत: सभी कार्मिको के सामूहिक बीमा भुगतान के दावे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार श्री राज्यपाल सचिवालय द्वारा स्वंय भुगतान किए जायेगें।

(7) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (केन्द्रीय समूह बीमा योजना से आच्छादित) के दावे वर्तमान में सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा भुगतान हेतु केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों को प्रेषित किये जाते है। अत: इन अधिकारियों के दावे पूर्व व्यवस्था के अनुसार सामूहिक बीमा निदेशालय को यथावत भेजे जाते रहेंगे।

3- उ0प्र0 शासन के वित्त (बीमा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बीमा-768/दस-99/61/ए/99, दिनांक 16-7-1999 में निर्धारित अन्य दायित्वों का सम्पादन सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा पूर्ववत किया जाता रहेगा।

4- उक्त व्यवस्था दिनांक 31-10-2018 से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिको हेतु लागू होगी। उक्त तिथि के पहले के दावे पूर्व प्रक्रिया की भाँति सामूहिक बीमा निदेशालय

3/---

द्वारा निस्तारित किये जाएगें।

5- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-5/2018/ एस0ई0-1151(1)/दस-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।

(2) उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(3) निदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) भाषा (प्रकाशन) अनुभाग को 04 प्रतियों सहित।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
विशेष सचिव।